[2024:RJ-JP:31125]

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर पीठ

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11363/2024

मंजू गर्ग पत्नी श्री विष्णु गर्ग, आयु लगभग 56 वर्ष, निवासी मालादेवी मोहल्ला, थाना बारां, बारां, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग (प्राथमिक), राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर राजस्थान के माध्यम से।

2. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, राजस्थान राज्य, बीकानेर, राजस्थान।

3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग कोटा, शिक्षा विभाग, राजस्थान राज्य, कोटा, राजस्थान।

4. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय (प्राथमिक), बारां, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री हिमांशु जैन, अधिवक्ता
प्रतिवादी के लिए	:	श्री जी.के. शर्मा, अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्री अनूप कुमार ढंड

<u>आदेश</u>

को आरक्षित किया गया

23/07/2024

को सुनाया गया

31/07/2024

रिपोर्ट करने योग्य

*****

"केवल एक महान शिक्षक ही एक महान छात्र को गढ़ सकता है। "

1. एक शिक्षक प्रत्येक छात्र के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, शिक्षक का महत्व ईश्वर के महत्व से अधिक है।

2. एक शिक्षक राष्ट्र के युवाओं और बच्चों को भविष्य के योग्य नागरिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षकों को अक्सर 'राष्ट्र निर्माता' के रूप में मान्यता दी जाती है क्योंकि वे एक राष्ट्र के भविष्य के नागरिकों

(D.B. SAW/769/2024 has been filed in this matter. Please refer the same for further orders)
(Downloaded on 29/05/2025 at 05:11:30 PM)

को आकार देने में सहायक होते हैं। इस प्रकार, शिक्षकों को अत्यधिक जिम्मेदारी निभानी होती है, जिसे और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्र के भविष्य के नागरिकों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता उन शिक्षकों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, जिन्हें उन्हें पढ़ाने के लिए नियुक्त किया जाता है।

3. शिक्षा राष्ट्र के व्यक्तियों में क्षमताओं के बहु-आयामी विकास के अवसर प्रदान करती है, जो बदले में राष्ट्र के विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। शिक्षा भारत में प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, जिसे संविधान (छियासीवां संशोधन) अधिनियम, 2002 के अनुसार अनुच्छेद 21-ए के समावेश के माध्यम से स्थापित किया गया है। इस प्रकार, देश के लिए न केवल "सभी के लिए शिक्षा" के उद्देश्य को प्राप्त करना आवश्यक है, बल्कि "सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा" भी आवश्यक है।

4. सरकारी स्कूलों में छद्म शिक्षकों का व्यापक प्रचलन महान पेशे पर कलंक है, क्योंकि यह बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित करता है, प्रशासन को बाधित करता है, व्यवसाय के बिल्कुल विपरीत है और उन लोगों के बलिदानों को overshadowed करता है जो ईमानदारी से अपना दिल लगाकर काम कर रहे हैं।

(D.B. SAW/769/2024 has been filed in this matter. Please refer the same for further orders)
(Downloaded on 29/05/2025 at 05:11:30 PM)

5. सरकारी स्कूलों में छद्म शिक्षकों की उपस्थिति देखना शर्मनाक है। बेरोजगार युवा, जिनके पास पढ़ाने के लिए बुनियादी योग्यता भी नहीं हो सकती है, मानव संसाधनों के निर्माण और शिक्षित करने के लिए बने संस्थानों में वास्तविक रूप से नियोजित शिक्षकों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। विश्व बैंक की अध्ययन पुस्तक जिसका शीर्षक "गेटिंग द राइट टीचर्स इनटू द राइट स्कूल्स: मैनेजिंग इंडियाज टीचर वर्कफोर्स" है, जो वर्ष 2018 में जारी की गई थी, यह चौंकाने वाली स्थिति का खुलासा करती है कि देश के कुछ राज्यों में छद्म शिक्षकों ने शिक्षण का कार्यभार संभाल लिया है। अध्ययन से पता चलता है कि "......अध्ययन में कुछ राज्यों द्वारा रिपोर्ट की गई एक alarming समस्या छद्म शिक्षकों की है, जिसमें सरकार द्वारा नियुक्त एक शिक्षक अवैध रूप से किसी अन्य व्यक्ति को कुछ प्रतिफल के लिए अपनी जगह पर काम करने के लिए नियुक्त करता/करती है"।

6. सरकारी स्कूलों में छद्म शिक्षकों की 'अवैध' नियुक्ति ने शिक्षा परिदृश्य की एक बहुत ही नकारात्मक छवि प्रस्तुत की और यह प्रणाली की विफलता को दर्शाता है और इससे भी बढ़कर, इसने कई स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता को खराब कर दिया है। कई सरकारी नियोजित शिक्षक, अपनी

(D.B. SAW/769/2024 has been filed in this matter. Please refer the same for further orders)
(Downloaded on 29/05/2025 at 05:11:30 PM)

जगह पर अपने छद्म शिक्षकों को भेजते हैं, जिनके पास छात्रों को पढ़ाने के लिए बुनियादी योग्यता भी नहीं हो सकती है। ऐसा अवैध कार्य करके, ऐसे शिक्षक बड़े पैमाने पर छात्रों के भविष्य और करियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।

7. सरकारी स्कूलों में वास्तविक शिक्षक अनुपस्थिति और छद्म शिक्षकों के उपयोग से निपटने के लिए, यह न्यायालय आदेश पारित करने से पहले उचित निर्देश जारी करेगा। हालांकि, ऐसे निर्देश पारित करने से पहले, यह न्यायालय याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत वर्तमान याचिका का निर्णय करना उचित और न्यायसंगत समझता है।

8. वर्तमान याचिका प्रतिवादियों द्वारा दिनांक 22.12.2023 को पारित चुनौतीप्राप्त आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को निलंबित कर दिया गया है, और उसके मुख्यालय को उसके वर्तमान पदस्थापन स्थान अर्थात छिपाबड़ौद, जिला बारां से बीकानेर में बदल दिया गया है, और उपरोक्त के अलावा, याचिकाकर्ता को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 (संक्षेप में, '1958 के नियम') के नियम 16 के तहत एक आरोप पत्र भी जारी किया गया है।

(D.B. SAW/769/2024 has been filed in this matter. Please refer the same for further orders)
(Downloaded on 29/05/2025 at 05:11:30 PM)

9. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि याचिकाकर्ता को राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजपुरा, जिला बारां में शिक्षक ग्रेड-III के पद पर नियुक्त किया गया था और अपनी बीमारी के कारण वह अवकाश पर थी। विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि उक्त अवधि के दौरान उसके विरुद्ध पुलिस थाना सदर बारां, जिला बारां में प्राथमिकी संख्या 316/2023 दंडनीय अपराधों के तहत धारा 420, 419, 467, 468, 471 और 120-**बी आईपीसी** के तहत परिवादी-तेजेश सुमन द्वारा कथित तौर पर कुछ राजनीतिक प्रतिशोध और याचिकाकर्ता के प्रति व्यक्तिगत दुर्भावना के कारण दर्ज की गई थी, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि उसकी अनुपस्थिति में कोई डमी व्यक्ति स्कूल में याचिकाकर्ता के कर्तव्यों का पालन कर रहा था। विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि उक्त परिवादी-तेजेश सुमन आपराधिक पूर्ववृत्त वाला व्यक्ति है, जिसके विरुद्ध कई प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि बिना किसी प्रारंभिक जांच के और बिना किसी तथ्य या निष्कर्ष को दर्ज किए, याचिकाकर्ता को दिनांक **22.12.2023** के चुनौतीप्राप्त आदेश द्वारा निलंबित कर दिया गया है और उसके मुख्यालय को मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, छिपाबड़ौद, जिला बारां के कार्यालय से प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर में बदल दिया गया है और याचिकाकर्ता के विरुद्ध 1958 के नियमों के नियम 16 के तहत एक आरोप पत्र जारी किया

(D.B. SAW/769/2024 has been filed in this matter. Please refer the same for further orders)
(Downloaded on 29/05/2025 at 05:11:30 PM)

गया है। विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोप/अभियोग सत्य से परे हैं, अतः इन परिस्थितियों में, इस न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक है।

10. वैकल्पिक रूप से, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि यदि यह न्यायालय मामले में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है, तो कम से कम याचिकाकर्ता के मुख्यालय को बदलने के आदेश को निरस्त और रद्द किया जाए ताकि याचिकाकर्ता विभागीय कार्यवाही में भाग ले सके।

11. इसके विपरीत, प्रतिवादी-राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों का विरोध किया और निवेदन किया कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध कदाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि कोई डमी उम्मीदवार छात्रों को पढ़ा रहा था और उसकी अनुपस्थिति में याचिकाकर्ता के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा था। विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि याचिकाकर्ता के उक्त कृत्य/कदाचार के लिए, न केवल उसके विरुद्ध एक प्राथमिकी दर्ज की गई है, बल्कि 1958 के नियमों के नियम 16 के तहत विभागीय कार्यवाही भी शुरू की गई है। विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि इसके परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता को निलंबित कर दिया गया है और उसके मुख्यालय को बदल दिया गया है। विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि

(D.B. SAW/769/2024 has been filed in this matter. Please refer the same for further orders)
(Downloaded on 29/05/2025 at 05:11:30 PM)

मामले की जांच अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा की जानी आवश्यक है, याचिकाकर्ता के विरुद्ध जांच आयोजित करने के बाद। अतः, इन परिस्थितियों में, इस न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है।

12. बार में किए गए निवेदनों को सुना और विचार किया गया तथा रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।

13. यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि आरोप पत्र को, जांच आयोजित करने से पहले, इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है कि आरोप में बताए गए तथ्य गलत थे, क्योंकि यह अच्छी तरह से स्थापित है कि आरोप की शुद्धता या सत्यता अनुशासनात्मक प्राधिकारी का कार्य है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टेट ऑफ उड़ीसा बनाम संग्राम केशरी मिश्रा: रिपोर्टेड इन **2010 (13) SCC 311** के मामले में कहा है।

14. प्रतिवादियों को किसी कर्मचारी के विरुद्ध किसी कदाचार या आचरण नियमों के उल्लंघन के लिए जांच शुरू करने से रोका नहीं जाता है, भले ही वह आधिकारिक कार्यों के प्रदर्शन या गैर-प्रदर्शन और कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान हुआ हो। प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति को 1958 के नियमों के नियम 13 के तहत निलंबित कर सकते हैं।

(D.B. SAW/769/2024 has been filed in this matter. Please refer the same for further orders)
(Downloaded on 29/05/2025 at 05:11:30 PM)

15. इस न्यायालय की सुविचारित राय में, आरोप पत्र के विरुद्ध सामान्यतः रिट याचिका दायर नहीं की जाती है, जब तक कि यह स्थापित न हो जाए कि इसे ऐसे प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के लिए सक्षम नहीं है।

16. यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि आरोप पत्र में न्यायालय द्वारा हल्के ढंग से या नियमित तरीके से हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। दोषी कर्मचारी को प्रारंभिक चरण में आरोप पत्र को रद्द करने की मांग करने के बजाय, जांच अधिकारी/अनुशासनात्मक प्राधिकारी के समक्ष अपना उत्तर प्रस्तुत करना चाहिए और कार्यवाही के निष्कर्ष की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

17. परिणामस्वरूप, रिट याचिका गुणहीन होने के कारण खारिज की जाती है। हालांकि, अनुशासनात्मक प्राधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वह कोई भी अंतिम निर्णय लेने से पहले याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन/उत्तर पर विचार करे। अनुशासनात्मक प्राधिकारी को आगे निर्देश दिया जाता है कि वह कार्यवाही को यथासंभव शीघ्रता से समाप्त करे, यदि पहले से पूरी नहीं हुई है, तो अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर, याचिकाकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद।

(D.B. SAW/769/2024 has been filed in this matter. Please refer the same for further orders)
(Downloaded on 29/05/2025 at 05:11:30 PM)

18. आदेश पारित करने से पहले, यह न्यायालय उस स्थिति का गंभीर संज्ञान लेता है जहां अयोग्य और अप्रशिक्षित छद्म शिक्षक मूल रूप से पदस्थ/नियुक्त शिक्षकों के स्थान पर विभिन्न सरकारी स्कूलों में छात्रों को पढ़ा रहे हैं।

19. सरकारी स्कूलों में छद्म शिक्षण के इस व्यापक प्रचलन को रोकने के लिए, यह न्यायालय राजस्थान सरकार को, जिसमें राज्य के मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के निदेशक शामिल हैं, एक सामान्य परमादेश जारी करता है कि वे इस मामले को देखें और सरकारी स्कूलों में छद्म शिक्षण की स्थिति को हल करने के लिए तत्काल कदम उठाएं और छद्म शिक्षण की ऐसी अवैध प्रथा को रोकने के लिए एक समाधान के साथ आएं।

20. एक अंतरिम उपाय के रूप में, यह न्यायालय मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार; अतिरिक्त मुख्य सचिव; प्रधान सचिव; और प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के निदेशकों को निम्नलिखित निर्देश जारी करता है, कि वे राज्य स्तर, जिला स्तर, शहरी और ग्रामीण ब्लॉक स्तर पर विभिन्न प्रकार की समितियां गठित करें, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी शामिल हों, एक **"**छद्म शिक्षकों के लिए शून्य

(D.B. SAW/769/2024 has been filed in this matter. Please refer the same for further orders)
(Downloaded on 29/05/2025 at 05:11:30 PM)

सहिष्णुता नीति" तैयार करके, जो इस आदर्श वाक्य का समर्थन करती है कि "स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य है और छद्म शिक्षक किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं हैं"। उपरोक्त नीति और अभियान के कार्यान्वयन के लिए, प्रतिवादियों और उपरोक्त अधिकारियों को निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है:-

(i) पूरे राजस्थान राज्य के सभी सरकारी स्कूलों का नियमित आधार पर अचानक निरीक्षण करने के लिए विभिन्न समितियां गठित करें और उड़न दस्ते बनाएं, यह जांचने के लिए कि स्कूलों में वास्तविक शिक्षक या छद्म शिक्षक पढ़ा रहे हैं।

(ii) यदि सरकारी स्कूलों में कोई छद्म शिक्षक छात्रों को पढ़ाते हुए पाए जाते हैं, तो ऐसे अनुपस्थित-शिक्षकों और उनके छद्म शिक्षकों के विरुद्ध जांच की जाएगी, उन्हें सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद। कानून की उचित स्थापित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, अधिकारियों को उन सभी दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है, जो उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करके और राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 के प्रावधानों के तहत उनके

(D.B. SAW/769/2024 has been filed in this matter. Please refer the same for further orders)
(Downloaded on 29/05/2025 at 05:11:30 PM)

विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करके दोषी पाए जाते हैं। यदि वे दोषी पाए जाते हैं, तो उनके विरुद्ध उचित दंड आदेश पारित किया जाए, जिसमें वेतन की वसूली ब्याज सहित शामिल है, जो उन्होंने अपनी अनुपस्थिति और छद्म शिक्षण की अंतरिम अवधि के दौरान प्राप्त किया था।

(iii) शिक्षा विभाग को निर्देश दिया जाता है कि वह स्कूलों में पढ़ाने के लिए उनके द्वारा नियुक्त शिक्षकों की तस्वीरें प्रदर्शित करने के लिए उचित कदम उठाए, ताकि छात्र और प्रशासन वास्तविक शिक्षकों और उनके स्थानापन्न/छद्म शिक्षकों के बीच आसानी से अंतर कर सकें। शिक्षकों की तस्वीरों का ऐसा प्रदर्शन माता-पिता को अपने बच्चों के वास्तविक शिक्षकों की पहचान जानने में भी सुविधा प्रदान करेगा। यह जागरूकता उन्हें चिंता व्यक्त करने के लिए सशक्त करेगी, यदि कोई शिक्षक बिना किसी वैध कारण के अनुपस्थित पाया जाता है।

(iv) प्रतिवादियों को आगे निर्देश दिया जाता है कि वे सरकारी स्कूलों के प्रमुखों, प्राचार्यों, प्रधानाध्यापकों, प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा अधिकारियों और जिला शिक्षा अधिकारियों को अधिसूचनाएं, परिपत्र, नोटिस जारी करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि

(D.B. SAW/769/2024 has been filed in this matter. Please refer the same for further orders)
(Downloaded on 29/05/2025 at 05:11:30 PM)

उनके प्रतिष्ठान के तहत कोई भी शिक्षक छद्म शिक्षण की प्रथा में संलग्न नहीं है। सभी ऐसे अधिकारियों के बीच एक मजबूत संदेश प्रसारित किया जाए, उन्हें चेतावनी देते हुए, कि जिन शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है, उनके अलावा, प्रत्येक दोषी अधिकारी और स्कूल के प्रमुख के साथ-साथ उस अधिकारी के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी, जिसके क्षेत्राधिकार में ऐसी प्रथा हो रही है।

(v) सभी संस्थानों के प्रमुखों और अधिकारियों को उचित निर्देश जारी किए जाएं कि, इन निर्देशों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप उनके विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी, जिसमें निलंबन सहित सेवा से बर्खास्तगी भी शामिल है, यदि आरोप उनके विरुद्ध जांच आयोजित करने और कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद सिद्ध पाए जाते हैं।

(vi) राजस्थान सरकार और शिक्षा विभाग को निर्देश दिया जाता है कि वे आम जनता के लिए छद्म शिक्षकों के विरुद्ध शिकायत तंत्र स्थापित करने के संबंध में एक वेबसाइट और पोर्टल लॉन्च करें। वेबसाइट और शिकायत पोर्टल में राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के संपर्क विवरण और एक टोल फ्री नंबर भी होगा।

(D.B. SAW/769/2024 has been filed in this matter. Please refer the same for further orders)
(Downloaded on 29/05/2025 at 05:11:30 PM)

(vii) सरकार द्वारा योजना/नीति/अभियान "छद्म शिक्षकों के लिए शून्य सहिष्णुता नीति" के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उचित कदम उठाए जाएं।

21. राज्य द्वारा उठाए गए कदमों के संबंध में एक अनुपालन रिपोर्ट, वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अंत में अर्थात मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में संबंधित अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों के साथ इस न्यायालय में प्रस्तुत की जाए।

22. न्यायालय के आदेशों की अवज्ञा कानून के शासन की जड़ पर प्रहार करती है, क्योंकि न्यायिक आदेशों का हर कीमत पर पालन किया जाना अनिवार्य है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि प्रतिवादियों द्वारा इस न्यायालय द्वारा जारी आदेश/निर्देशों के अनुपालन में कोई जानबूझकर अवज्ञा की जाती है, तो इसे गंभीरता से देखा जाएगा और यह न्यायालय की अवमानना भी होगी।

23. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार; अतिरिक्त मुख्य सचिव; प्रधान सचिव और प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के निदेशकों को इस न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करने के लिए भेजे।

(D.B. SAW/769/2024 has been filed in this matter. Please refer the same for further orders)
(Downloaded on 29/05/2025 at 05:11:30 PM)

24. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस आदेश में जो कुछ भी देखा गया है, वह राजस्थान राज्य के सरकारी स्कूलों में छद्म शिक्षण की स्थिति को रोकने के लिए है। प्रतिवादी याचिकाकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद, इस न्यायालय द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना, स्वतंत्र रूप से विभागीय जांच के साथ आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र होंगे और दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर मामले को आगे बढ़ाएंगे।

25. इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन के लिए प्रतिवादियों द्वारा उठाए गए कदमों की जांच करने के लिए मामले को दिनांक 07.10.2024 को इस न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध करें।

(अनूप कुमार ढंड),जे

मदन, जूनियर पी.ए.

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा

(D.B. SAW/769/2024 has been filed in this matter. Please refer the same for further orders)
(Downloaded on 29/05/2025 at 05:11:30 PM)

सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

MITALI KARWA, ADVOCATE
Office At-
O.N. 417, 4th Floor, Sunny Paradise, Tonk Road,
Jaipur- 302018
M:- (+91)9001197999
R/5754/2022

(D.B. SAW/769/2024 has been filed in this matter. Please refer the same for further orders)
(Downloaded on 29/05/2025 at 05:11:30 PM)